प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला अलवर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. .....392/2022.....दिनांक 21/9/2022.....

2. (I) अधिनियम ... धारायें 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018

(II) अधिनियम .... धारायें .....

(III) अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....599.....समय.....6.15 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– , मंगलवार. 20.09.2022 समय 04.50 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.09.2022 समय 03.40 पी0एम0

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– कस्बा मुण्डावर जिला अलवर।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 42 कि0मी0 लगभग, उत्तर दिशा में

(ब) पता – अली बक्श पेनोरमा के पास मुण्डावर जिला अलवर।

बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री विकास कुमार

(ब) पिता/पति का नाम – श्री श्यामलाल

(स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 30 वर्ष..

(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय– ठेकेदारी

(ल) पता– निवासी–ग्राम गुसाईयों की ढाणी(जागीवाडा) तहसील मुण्डावर जिला अलवर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

श्री भूपेन्द्र सिह पुत्र श्री बख्तावर सिह जाति अहीर उम्र 29 साल निवासी गॉव जोडिया तहसील व थाना कोटकासिम जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का बल्लूबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 8,000/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 8,000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर विषय रिश्वत खोर पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतु महोदय, निवेदन है कि मैं विकास कुमार पुत्र श्री श्यामलाल निवासी गुसाईयों की ढाणी(जागीवाडा) तहसील मुण्डावर का रहने वाला हूँ हमारे गॉव जागिवाडा में मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र श्री उमराव के नाम से खातेदारी जमीन चली आ रही थी, जिसमें से मेरे दादाजी ने अपनी खातेदारी भूमि में से दो हिस्से मेरे पिताजी व चाचाजी को दानपत्र से दे दीतथा एक हिस्सा अपने लिए रख लिया था तथा उक्त का राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो गया था। तहसील मुण्डावर का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ऑन लाईन की गई तब संवत 2071–2074 की जमाबन्दी चौसाला में मेरे दादाजी के नाम की उक्त जमीन त्रुटिवश दर्ज होने से रह गई। जिस पर मैंने मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र उमराव के नाम से एक प्रार्थना पत्र उक्त राजस्व रिकार्ड के शुद्व करवाने के लिये हमारे हल्का पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवार हल्का बल्लूवास को दिया था तथा उक्त के अतिरिक्त मेरे पिताजी श्री श्यामलाल ने अपनी खातेदारी भूमि पर बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक, मुण्डावर से के0सी0सी0 का लोन लिया था, जिस पर मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में उक्त बैंक के नाम रहन दर्ज की गई थी। उक्त के0सी0सी0 लोन को बैंक में जमा करवाकर

मेरे पिताजी के के0सी0सी0 लोन का बैंक से नो–डयूज प्राप्त कर मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहन मुक्त करवाने हेतु बैक का नो–डयूज प्रमाण पत्र भी हमारे पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव को कई माह पूर्व दिया था। उक्त दोनों कार्यो को करवाने के लिये मैं हमारे पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर से कईबार मिला किन्तु उसके बाद भी उसने हमारे उक्त कार्यो को नही किया और मेरे से कहा कि ऐसे फालतू के चक्कर लगाने से काम नही होते है यदि आपको अपना काम करवाना ही है तो आपकों मुझे 10 हजार रू0 मेरे खर्चे–पानी के देने होगें नही तो मैं आपका शुद्वीपत्र दर्ज नही करूंगा और नाही आपकी जमीन को रहनफक करूंगा। आप चक्कर ही लगाते रहना। मैं श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को हमारे उक्त दोनों जायज कार्यो की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये को आपके विभाग से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। हस्ता. प्रार्थी विकास कुमार पुत्र श्री श्यामलाल जाति गोस्वामी निवासी गांव गुसाईयों की ढ़ाणी(जागीवाडा) तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) मोबाईल नम्बर 9799371464 दिनांक 08.09.2022

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के सम्मुख परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, उम्र 30 साल निवासी गुसाईयों की ढाणी(जागिवाडा), तहसील मुण्डावर, जिला अलवर ने उक्त लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2022 को समय 11:15 ए.एम. पर प्रस्तुत किया। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र परिवादी श्री विकास कुमार को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री विकास कुमार ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे गॉव जागिवाडा में मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र श्री उमराव के नाम से खातेदारी जमीन चली आ रही थी, जिसमें से मेरे दादाजी ने अपनी खातेदारी भूमि में से दो हिस्से मेरे पिताजी व चाचाजी को दानपत्र से दे दीतथा एक हिस्सा अपने लिए रख लिया था तथा उक्त का राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो गया था। तहसील मुण्डावर का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ऑन लाईन की गई तब संवत 2071–2074 की जमाबन्दी चौसाला में मेरे दादाजी के नाम की उक्त जमीन त्रुटिवश दर्ज होने से रह गई। जिस पर मैंने मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र उमराव के नाम से एक प्रार्थना पत्र उक्त राजस्व रिकार्ड के शुद्व करवाने के लिये हमारे हल्का पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवार हल्का बल्लूवास को कई माह पूर्व दिया था तथा उक्त के अतिरिक्त मेरे पिताजी श्री श्यामलाल ने अपनी खातेदारी भूमि पर बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक, मुण्डावर से के0सी0सी0 का लोन लिया था, जिस पर मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में उक्त बैंक के नाम रहन दर्ज की गई थी। उक्त के0सी0सी0 लोन को बैंक में जमा करवाकर मेरे पिताजी के के0सी0सी0 लोन का बैंक से नो–डयूज प्राप्त कर मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहन मुक्त करवाने हेतु बैक का नो–डयूज प्रमाण पत्र भी हमारे पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव को दिया था। उक्त दोनों कार्यो को करवाने के लिये मैं हमारे पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर से कईबार मिला किन्तु उसके बाद भी उसने हमारे उक्त कार्यो को नही किया और मेरे से कहा कि ऐसे फालतू के चक्कर लगाने से काम नही होते है यदि आपको अपना काम करवाना ही है तो आपकों मुझे 10 हजार रू0 मेरे खर्चे–पानी के देने होगें नही तो मैं आपका शुद्वीपत्र दर्ज नही करूंगा और नाही आपकी जमीन को रहनफक करूंगा। आप चक्कर ही लगाते रहना। मैं श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को हमारे उक्त दोनों जायज कार्यो की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये को आपके विभाग से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। परिवादी विकास कुमार में उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री विकास कुमार ने ग्राम जागिवाडा के खाता संख्या 112 व 114 की संवत 2070 की जमाबन्दी की छायाप्रतियॉ एवं 2071 से 2074 की जमाबन्दी की ऑनलाईन प्रिन्ट की गई प्रतियॉ एवं अपने आधर कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत की, जिन्हे बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग

का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। दिनांक 08.09.2022 समय करीब 12.10 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने राजवीर सिह कानि0 को कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री विकास कुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी श्री विकास कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी श्री विकास कुमार ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर के पास हमारे हल्के के अतिरिक्त तहसील मुण्डावर के एक और पटवार हल्का खानपुर का चार्ज है तथा वह कभी–कभी ही हमारे पटवार हल्का व मुण्डावर कस्बा में स्थित अपने किराये के ऑफिस एवं तहसील मुण्डावर में अपनी काले रंग की स्कारपियों गाडी से आता है तथा ज्यादातर समय वह बाहर ही रहता है। इसलिए आज वह मुझे नही मिल पायेगा तथा जब भी वह तहसील मुण्डावर व हमारे पटवार हल्का बल्लूवास आयेगा तो मैं मालूम करके आपको फोन करके बता दूंगा, तब आपके कार्यालय का उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर उसे मुण्डावर में लाकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वह श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर से बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर श्री राजवीर कानि0 443 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री विकास कुमार से परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री विकास कुमार को हिदायत दी गई कि वे जब भी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास के पास जाये, तो उसकी सूचना से मन उप अधीक्षक पुलिस या उक्त कानि0 को अवगत करावे, ताकि रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उसे मुण्डावर में डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया जा सकें। तत्पश्चात परिवादी श्री विकास कुमार को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गयज्ञं इसके बाद दिनांक 19.09.2022 को वक्त करीब 09.30 ए0एम0 पर श्री राजवीर कानि0 443 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि उसकी परिवादी श्री विकास कुमार से वार्ता हुई है तथा उसने आज श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी, पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने हेतु उसके पास कस्बा मुण्डावर में स्थित उसके किराये के कार्यालय पर जाने के लिये बताया है तथा उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा मुण्डावर, जिला अलवर बुलाया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर श्री राजवीर कानि0 443 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री विकास कुमार से सम्पर्क कर उसे बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्ड सुपुर्द कर परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी के कस्बा तिजारा में स्थित किराये के कार्यालय पर जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपी की पहचान करने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री राजवीर कानि0 443 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब मुण्डावर, जिला अलवर रवाना किया गया। तत्पश्चात् वक्त करीब 08:30 पीएम पर श्री राजवीर कानि0 443 ब्यूरों कार्यालय, अलवर उपस्थित आया और डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अवगत करवाया कि मै समय करीब 11.25 ए0एम0 पर कस्बा मुण्डावर पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री विकास कुमार मौजूद मिला तथा परिवादी श्री विकास कुमार को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर समय 11.31 ए0एम0 पर परिवादी को सुपुर्द किया एवं परिवादी विकास कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास के कस्बा मुण्डावर में सराय रोड पर स्थित किराये के कार्यालय पर भिजवाया गया। परिवादी कस्बा मुण्डावर में सराय रोड पर स्थित आरोपी पटवारी के उक्त कार्यालय के अन्दर चला गया तथा मैं उक्त कार्यालय के बाहर खडा हो गया। समय करीब 1 घण्टा 25 मिनट बाद परिवादी विकास कुमार, संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव के किराये के उक्त कार्यालय के बाहर निकलकर मेरे पास आकर परिवादी विकास कुमार ने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मुझे दे दिया और बताया कि मैं हल्का पटवारी, बल्लूवास के उक्त किराये के कार्यालय में जाकर श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी से मिला और मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र उमराव के शुद्धीपत्र को जमाबन्दी में दर्ज करने व मेरे

पिताजी श्री श्यामलाल के केसीसी लोन के बैक के नो–डयूज को दर्ज कर पिताजी के नाम की भूमि को बैंक से रहनमुक्त करके के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी ने उक्त दोनों कार्य करने की एवज में मेरे से 8 हजार रू0 रिश्वत की मांग की है। मेरी श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास से हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिलिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। मेरे साथ उक्त कार्यालय से जो पेन्ट शर्ट पहना हुआ नौजवान बाहर आया था, वह व्यक्ति ही श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी है तथा उक्त कार्यालय के बाहर जो काले रंग की स्कार्पियों गाडी नं0 एच0आर0 26 ई0एस0 8017 खडी हुई है वह गाडी भूपेन्द्र यादव पटवारी की ही है तथा इसी गाडी से ऑफिस/फील्ड में आता–जाता है। इसके बाद परिवादी श्री विकास कुमार ने मुझे बताया की उनको जरूरी कार्य होने से मेरे साथ कार्यालय मे नही आ सकता हू तथा परिवादी श्री विकास कुमार ने अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.09.2022 को प्रातः 09.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होने बाबत कही है। तत्पश्चात श्री राजवीर कानि0 443 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चालू कर सुना गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी विकास कुमार से उसके दादाजी श्री बदरी का शुद्धीपत्र दर्ज करने एवं पिताजी श्री श्यामलाल की भूमि रहनफक करने के सम्बन्ध में वार्ताऐं करना तथा उक्त दोनों कार्यो की एवज में परिवादी से 08 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रासकिप्ट व डीवीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया तथा दिनांक 20.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर से श्री हरीश चन्द कानि0 503 एवं श्री रामसिंह कानि0 549 को प्रातः 10.00 ए0एम0 ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर को निवेदन किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को वक्त करीब 09:00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, अलवर को गोपनीय कार्यवाही में दो सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर पत्र श्री राजवीर कांनि0 443 को प्रदत्त कर गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात् श्री राजवीर कानि0 443 श्रम विभाग, अलवर से श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, अलवर को हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। उक्त दोनों को कार्यालय में ही बैठने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त करीब 09:50 ए.एम. पर परिवादी श्री विकास कुमार, कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 19.09.2022 को समय करीब 11.25 पी0एम0 पर मैं आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री राजवीर कानि0 को कस्बा मुण्डावर में मौजूद मिला तथा वहॉ पर श्री राजवीर कानि0 ने उसे कार्यालय के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाया और डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर आपके कर्मचारी ने चालू कर समय करीब 11.31 ए0एम0 पर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैं अपने साथ लेकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास के कस्बा मुण्डावर में सराय रोड पर स्थित किराये के कार्यालय पर गया तथा आपका कर्मचारी उक्त कार्यालय के बाहर ही रूक गया था। मुझे श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी अपने उक्त कार्यालय में मौजूद मिला, जिससे मैंने मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र उमराव के शुद्धीपत्र को जमाबन्दी में दर्ज करने व मेरे पिताजी श्री श्यामलाल के केसीसी लोन के बैक के नो–डयूज को दर्ज कर पिताजी के नाम की भूमि को बैंक से रहनमुक्त करके के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी ने हमारे उक्त दोनों कार्य करने की एवज में मेरे से 8 हजार रू0 रिश्वत की मांग की। मेरे व श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिलिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं उक्त कार्यालय से निकल कर श्री राजवीर कानि0 के पास आया और उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मैंने श्री राजवीर कानि0 को दे दिया था। इसके बाद मैंने श्री राजवीर कानि0 को उक्त सभी तथ्य बताये थे और यह भी बताया था कि मेरे साथ उक्त कार्यालय से जो पेन्ट शर्ट पहना हुआ नौजवान युवक बाहर आया था, वह व्यक्ति ही श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी था तथा उक्त कार्यालय के बाहर जो काले रंग की स्कार्पियों गाडी नं0 एच0आर0 26 ई0एस0 8017 खडी हुई थी वह गाडी श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी की ही थी तथा उक्त गाडी से पटवारी ऑफिस/फील्ड में आता–जाता है। इसके बाद मैंने राजवीर कानि0 को यह भी बताया

था कि मुझे जरूरी कार्य होने से मै आपके साथ कार्यालय नही चल सकता तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु आज दिनांक 20.09.2022 को प्रातः ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होने की कही थी। आज मैं संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 8000 रू0 अपने साथ लेकर आया हूँ। अतः परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात् वक्त करीब 10:10 ए.एम. पर परिवादी श्री विकास कुमार का परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद दोनों गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री विकास कुमार द्वारा दिनांक 08.09.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री विकास यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त करीब 10:25 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर से तलवीदा पाबन्दशुदा श्री हरीश चन्द कानि0 503 एवं श्री राम सिंह कानि0 549, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये, उक्त दोनों को कार्यालय में बैठने की हिदायत दी गई। इसके बाद वक्त करीब 10:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री विकास कुमार की उपस्थिति में परिवादी श्री विकास कुमार तथा संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के मध्य दिनांक 19.09.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री विकास कुमार अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर की सहायता से बारी–बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों डीवीडी पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री विकास कुमार के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती डीवीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 20.09.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा डीवीडी मार्क ए–1 व ए–2 को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात् वक्त करीब 01:30 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विकास कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवारी हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री विकास कुमार ने अपने पास से 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/–रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 8,000/– रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री विकास कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री विष्णु कुमार सिंह से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 8,000/– रूपये को श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री विकास कुमार

की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में श्री राजवीर कानि0 443 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री विकास कुमार व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगें तो उनके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री विकास कुमार को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास, कटोरे, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 19.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री विकास कुमार को सुपुर्द किया गया तथा श्री राजवीर कानि0 443 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पूर्ण की गई। तत्पश्चात् वक्त 02:30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री विकास कुमार एवं ए0सी0बी0 जाप्ता सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री रामजीत कानि0 209, श्री हरिश चन्द शर्मा कानि0 503, श्री राजवीर कानि0 443 एवं श्री धर्मवीर गुर्जर, वरिष्ठ सहायक मय विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी सामान के दो प्राईवेट वाहनों एवं श्री सतीश कुमार कानि0 को सरकारी मोटर साईकिल से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब मुण्डावर, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। वक्त 03:45 पीएम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्बा मुण्डावर में स्थित तहसील कार्यालय के पास पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर मन उप अधीक्षक पुलिस ने समय 03.47 पी0एम0 श्री राजवीर कानि0 443 से परिवादी का टेपरिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री विकास कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के पास जाने हेतु तहसील कार्यालय मुण्डावर के लिये रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के तहसील कार्यालय मुण्डावर के आप–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 04.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री विकास कुमार बिना निर्धारित ईशारा किये ही तहसील कार्यालय मुण्डावर के बाहर आकर मन उप अधीक्षक पुलिस को उसके पीछे–पीछे आने का ईशार किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेपपार्टी सदस्यों को तीनों वाहनों से हमराह लेकर परिवादी श्री विकास कुमार के पीछे–पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना हुआ तथा परिवादी कस्बा मुण्डावर में मन उप अधीक्षक के आगे–आगे पैदल चल रहा था, कस्बा मुण्डावर में कुछ दुरी पर जाकर परिवादी सराय रोड पर घूम गया, तब श्री राजवीर कानि0 443 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास का सराय रोड पर ही किराये का कार्यालय है और शायद संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को अपने उक्त कार्यालय पर ही बुलाया है। परिवादी श्री विकास कुमार

सराय रोड पर पैदल–पैदल चलकर संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर के किराये के कार्यालय पर चला गया और उक्त किराये के कार्यालय के बाहर खडी काले रंग की स्कार्पियों गाडी के पास मौजूद एक नवयुवक व्यक्ति के पास खडा होकर उक्त व्यक्ति से वार्तालाप करने लग गया। श्री राजवीर कानि0 443 ने मन उप अधीक्षक पुलिस एवं ट्रेपपार्टी सदस्यों को बताया कि परिवादी जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है, वही व्यक्ति संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव पटवारी है तथा उक्त काले रंग की स्कार्पियों गाडी भी पटवारी श्री भूपेन्द्र यादव की ही है। कुछ ही समय बाद संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव अपने उक्त किराये के कार्यालय के सामने से उक्त स्कार्पियों गाडी से रवाना होकर सराय रोड पर आकर रूक गया तथा परिवादी उक्त कार्यालय से पैदल–पैदल चलकर संदिग्ध आरोपी की उक्त गाडी के पास आया और संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव, पटवारी से मिला, तब संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र यादव चौकन्ना होकर गाडी में ड्राईवर सीट पर ही बैठा हुआ चारो तरफ देखकर परिवादी विकास कुमार से कुछ पैसे लिये तथा परिवादी को अपनी उक्त गाडी में अन्दर बैठा लिया और परिवादी को अपने साथ लेकर उक्त गाडी से कस्बा मुण्डावर की तरफ रवाना हो गया। तत्पश्चात् गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक के समक्ष मन उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र श्री श्यामलाल जाति गोस्वामी उम्र 30 साल निवासी गांव गुसाईयों की ढाणी(जागीवाडा) तहसील मुण्डावर जिला अलवर ने अपने आरोपी पटवारी के किराये के कार्यालय के मेन रोड से रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करते हुए आरोपी पटवारी की काले रंग की स्कार्पियों गाडी एचआर 26 ईएस 8017 में बैठकर कस्बे की तरफ तेजी से जाने लगा मन उप अधीक्षक पुलिस ने ईशारा मिलने पर जरिये हमराह स्टाफ व गवाहान कें प्राईवेट गाडियो एवं मोटरसाईकिल से उक्त स्कार्पियों गाडी का पीछा किया तों उक्त स्कार्पियों गाडी बाजार मे होते हुए हरसौली रोड मुण्डावर की तरफ जाती हुई दिखाई दी उक्त स्कार्पियों गाडी पटवारी कें किराये के कार्यालय से करीब 1 कि.मी. अली बक्श पनोरमा के समीप जाकर रूकी और स्कार्पियों गाडी से परिवादी श्री विकास कुमार उतरा तत्समय मन पुलिस उपअधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व उपरौक्त गवाहान कें गाडी के पास पहुँचा और स्कार्पियों गाडी के सामने अपनी प्राईवेट गाडी लगाकर गाडी से नीचे उतरा समस्त जाप्ता व गवाहान भी प्राईवेट गाडी व मोटरसाईकिल से नीचे उतरे तो परिवादी श्री विकास कुमार ने मन पुलिस उपअधीक्षक को बताया कि स्कार्पियों गाडी की ड्राईविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वह भूपेन्द्र यादव पटवारी है जिसने अपने किराये के कार्यालय के मेन रोड पर रिश्वत राशि 8000 रूपये अपने हाथ मे लेकर स्कार्पियों गाडी के गिरय बॉक्स के पास रख दियें है। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त किया गया एवं बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी के उक्त कथन पर स्कार्पियों गाडी के ड्राईविंग सीट पर बैठा व्यक्ति गाडी से उतरकर चिल्लाने लगा और कहने लगा मेरा कोई दोष नही है जिस पर मन उपअधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व गवाहान व स्टाफ का परिचय देकर उक्त का परिचय पूछा तो उक्त ने अपना नाम श्री भूपेन्द्र सिह पुत्र श्री बख्तावर सिह जाति अहीर उम्र 29 साल निवासी गॉव जोडिया तहसील व थाना कोटकासिम जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का बल्लूबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर होना बताया। मैन रोड होने के कारण यहा पर काफी भीड एकत्रित हो गई है। यहा ट्रैप कार्यवाही करने में सुरक्षित जगह नही होने एवं ट्रैप कार्यवाही मे व्यवधान पडने की संभावना होने के कारण अली बक्श पनोरमा के समीप से अरोपी पटवारी को प्राईवेट गाडी मे बैठाकर आरोपी पटवारी की गाडी गवाहा उदित आर्य को पीछे पीछे आने की हिदायत देकर समस्त स्टाफ व गवाहान कें प्राईवेट गाडी व मोटरसाईकिल सें रवाना होकर वक्त 05:15 पीएम पर पुलिस थाना मुण्डावर पहुँचा एवं पुलिस थाना मुण्डावर के कम्प्यूटर कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पटवारी से परिवादी श्री विकास कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 8000 रूपये के बारे पूछा तो उसने बताया कि मैने इस विकास से कोई रिश्वत राशि की मॉग नही की गई है इसके द्वारा मुझे 8000 रूपये रिश्वत के देने पर मैने लिये है। इसके बाद आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पटवारी के उपरौक्त कथन पर परिवादी श्री विकास कुमार ने बताया कि मेरे दादाजी श्री बदरी पुत्र श्री उमराव के शुद्वीपत्र को जमाबन्दी मे इन्द्राज करने एवं मेरे पिताजी श्री श्यामालाल पुत्र श्री बदरी के बडोदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैक मुण्डावर के केसीसी के नोडयूज को ऑनलाईन इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कर मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि को बैक से रहन मुक्त करने की एवज में मेरे से 10000 रूपये रिश्वत के मॉगे थे जिस पर मैने आपके कार्यालय मे आकर आपको लिखित शिकायत दी थी।,जिस पर आपने दिनांक 19.09.2022 को मुझे अपने कर्मचारी राजवीर सिह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए इनके पास भेजा था तो इन्होने मेरे उपरौक्त काम के लिए 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने मे सहमत हुआ उक्त मॉग के अनुसरण मे मै आज आपके साथ इनको इनके द्वारा मॉगी गई रिश्वती राशि देने

तहसील कार्यालय मे आया तो यह तहसील कार्यालय मे नही मिले मैने इनसे मेरे मोबाईल नम्बर 9799371464 से आरोपी पटवारी के मोबाईल नम्बर 8168251571 पर वार्ता कि तो इन्होने मुझे बताया कि मै मै तुम्हारे ही गॉव मे हूॅ कोई मौका देखने आया हूॅ 30 मिनट बाद आप मुझे मिलना। फिर करीब 30 मिनट बाद मैने पुनः कॉल किया तो बताया कि मै मेरे पटवार घर मे हूॅ फिर मै जाउगा। जिस पर मै इनके पास इनके किराये के कार्यालय पर पहुचने वाला ही था तब इनका मेरे पास पुनः फोन आया कि आप जल्दी आ जाओ मै घर जा रहा हूॅ। जिस पर पटवारी इनके किराये के कार्यालय के सामने खडा था और मेरे से मेरे कार्य की बात कर अपने किराये के कार्यालय के मेन रोड पर कार्यालय के बाहर खडी अपनी स्कार्पियो गॉडी लेकर आया और मै इनके कहे अनुसार इनके पीछे पीछे मेन रोड पर आया और इनके कहे अनुसार मैने 8000 रूपये रिश्वत के इनको दिये इन्होने रिश्वत राशि लेकर अपनी गाडी के गियर बॉक्स के पास रख दी और मुझे गाडी मे बैठाकर रवाना हो गया जिस पर मैने आपको रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया। उक्त पटवारी मुझे अली बक्श पनोरमा के समीप जाकर गाडी से उतार दिया उसी समय आप मौके पर पहुच गये। परिवादी के उक्त कथन पर आरोपी पटवारी से पुनः पुछा गया तो अपनी गर्दन झुकाकर चुप रहा । तत्पश्चात पुलिस थाना मुण्डावर में रखे एक पानी के कैम्पर से जरिये सतीश कुमार कानि0 से एक प्लास्टिक की साफ बोतल मे साफ पानी भरवाकर मॅगवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हे साफ पानी व साबुन से साफ कराकर उक्त स्टील के कटोंरो में बोतल में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री विष्णु कुमार सिह से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री भुपेन्द्र सिह पटवारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पटवारी के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल 1, एल 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पटवारी द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से प्राप्त की गई 8,000/–रूपये की रिश्वत राशि जो आरोपी की स्कार्पियों गाडी मे गियर बॉक्स के पास रखी हुई है को गवाह श्री उदित आर्य से उठवाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/–रूपये (आठ हजार रूपये) होना पाये गया। उक्त बरामद शुदा 8000/–रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा 8000/–रूपये रिश्वत नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाये जाकर उपरोक्त बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् एक स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनट का घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में आरोपी पटवारी की स्कार्पियों गाडी के गियर बॉक्स के पास की जगह जहा से रिश्वती राशि बरामद हुई है को एक रूई के फोवें की सहायत से धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों पर चिट चस्पा कर मार्क सी–1 व सी–2 अंकित कर शील मोहर कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोवे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क एफ अंकित कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पटवारी कों परिवादी से संबंधित बैक नो डयूज आदि रिकार्ड के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी स्कार्पियो गाडी मे बैंग रखा हुआ है उक्त बैग में श्री विकास कुमार से संबंधित रिकार्ड रखा हुआ है जिसको पृथक से जरिये फर्द जब्त किया जावेगा। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री भूपेन्द सिह पटवारी व परिवादी श्री विकास कुमार से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही

जरिये फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पूर्ण की गई। तत्पश्चात् वक्त करीब 08:10 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री विकास कुमार से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यापित प्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात् मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह पटवारी, पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्ति में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियों गाडी बरंग काली नं0 एचआर 26 ईएस 8017, जिससे आरोपी द्वारा प्राप्त रिश्वत राशि बरामद हुई है, को बजह सबूत जरिये फर्द जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद वक्त करीब 09:00 पीएम. पर आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को जुर्म से अवगत कराते हुए हस्बकायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। तत्पश्चात् वक्त करीब 09:30 पीएम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी के हमराह लाये वाहनों से एवं जब्तशुदा स्कार्पियों गाडी नं0 एचआर 26 ईएस 8017 के मौका पुलिस थाना मुण्डावर से घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करते हुए रवाना होकर आरोपी को बाद स्वास्थय परीक्षण रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में बन्द पुलिस थाना कोतवाली, अलवर मे सुपुर्द करते हुए दिनांक 21.09.2022 को वक्त करीब 01:15 ए.एम. पर एसीबी चौकी अलवर द्वितीय पहुँचा जब्त शुदा आर्टिकल एवं रिश्वती राशि सुरक्षित रखवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। गवाह श्री विष्णु कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक, श्री उदित आर्य, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री विकास कुमार एवं आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी, पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के मध्य दिनांक 20.09.2022 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री विकास कुमार द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी, पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "बी–1", मार्क "बी–2" एवं मार्क "बी–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री विकास कुमार के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 19.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की एवं दिनांक 20.09.2022 की रिश्वत लेन–देन के समय की परिवादी व आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह के मध्य हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क एसडी अंकित कर बजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती डीवीडी रिश्वत लेन–देन वार्ता, दिनांक 21.09.2022 तैयार की गई। तत्पश्चात् वक्त करीब 05:00 ए.एम. पर ट्रैप कार्यवाही के दौरान सील मोहर मे काम मे ली गई ब्रासील नं0 55 जरिये फर्द नष्टीकरण की गई। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तशुदा रिश्वती राशि 08 हजार रू0 प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया । तत्पश्चात् वक्त करीब 06:00 ए.एम. पर परिवादी श्री विकास कुमार एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान से

सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बाद कार्यवाही परिवादी श्री विकास कुमार एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया तथा साथ ही ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम अलवर से आमदा स्टाफ सदस्य सर्वश्री साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री हरिश चन्द कानि0 503 एवं श्री रामसिंह कानि0 549 को भी जाय तैनाती ए0सी0बी0 चौकी अलवर प्रथम अलवर के लिये रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री भूपेन्द सिह पटवारी, पटवार हल्का बल्लूबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से उसके दादाजी श्री बदरी पुत्र श्री उमराव के शुद्वीपत्र को जमाबन्दी मे इन्द्राज करने एवं परिवादी के पिताजी श्री श्यामालाल पुत्र श्री बदरी के बडोदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैक मुण्डावर के केसीसी के नोडयूज का ऑनलाईन इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कर श्याम लाल की खातेदारी भूमि को बैक से रहन मुक्त करने की एवज में वक्त सत्यापन दिनांक 19.09.2022 को परिवादी से 8000 रूपये रिश्वत राशि मॉग करना एवं अपनी उक्त मॉग के अनुसरण में दिनांक 20.09.2022 को 8000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी पटवार हल्का बल्लूवास की स्कार्पियों गाडी नं0 एचआर 26 ईएस 8017 से बरामद होने पर आरोपी श्री भूपेन्द्र सिंह, पटवारी पटवार हल्का, बल्लूवास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री भूपेन्द्र सिह पुत्र श्री बख्तावर सिह जाति अहीर उम्र 29 साल निवासी गॉव जोडिया तहसील व थाना कोटकासिम जिला अलवर हाल पटवारी पटवार हल्का बल्लूबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवा मे प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह, पटवारी, पटवार हल्का बल्लूबास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 372/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3229-33 दिनांक 21.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ज़यपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

21.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।